

**कार्यालय**  
**कार्यपालक अभियंता**  
**शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर**  
**पश्चिम चम्पारण-845107**  
**(hwdval2017@gmail.com)**

पत्रांक— /वाल्मीकिनगर

दिनांक

**भाड़े पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या-(NIQ)-01/2026-27**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर अन्तर्गत बाढ़ अवधि 2026 में तटबंध के सघन निरीक्षण, बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों एवं अन्य सरकारी कार्यों के कार्यान्वयन हेतु अवर प्रमंडल पदाधिकारी शीर्ष कार्य अवर प्रमंडल-01, वाल्मीकिनगर के लिए एक अदद बोलेरो/समकक्ष वाहन दिनांक 01.06.2026 से 31.10.2026 तक निम्नांकित शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिक/फर्म से अति अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।:-

1. कोटेशन आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि दिनांक 21.05.2026
2. कोटेशन जमा करने की अवधि दिनांक 29.05.2026 को 10:30 बजे पूर्वाह्न से 30.05.2026 के 3.00 बजे अपराह्न तक।
3. कोटेशन जमा करने का स्थान कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के कार्यालय में।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय दिनांक 30.05.2026 को 3:30 बजे अपराह्न में।
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल वाल्मीकिनगर (मो0 नं0-7463889679)

**तकनीकी निविदा शर्त**

- (I) वाहन का रजिस्ट्रेशनसर्टिफिकेट, इनश्योरेंस पी०यू०सी०कोटेशन के साथ संलग्न करना होगा।
- (II) वाहन मालिक का आधार कार्ड, जी०एस०टी०, पैन कार्ड के कोटेशन के साथ संलग्न करना होगा
- (III) कोटेशनदाताओं को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में देना होगा।

क्र०सं०	वाहन का प्रकार	मासिक भाड़ा ईंधन रहित चालक एवं सभी करों सहित
1		

**भाड़े पर वाहन रखने की शर्तें निम्नवत् है :-**

- 1 वाहन का निबंधन व्यवसायिक होना चाहिए। व्यवसायिक निबंधन वाले वाहन की उपलब्धता नहीं होने पर अव्यवसायिक निबंधन वाले वाहन पर भी विचार किया जा सकता है।
- 2 वाहन अच्छे हालत में होना चाहिए।
- 3 वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक के वेतन का भुगतान, आवासान एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
- 4 वाहन के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात् जी०एस०टी० आदि का भुगतान वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता को स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 5 वाहन का निबंधन पत्र, बीमा, प्रदुषण प्रमाण पत्र अद्यतन रखना होगा। वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
- 6 वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
- 7 वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया मासिक (ईंधन रहित चालक एवं सभी करों सहित) देय होगा।

- 8 वाहन का (ईंधन रहित, चालक एवं सभी करो सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
- 9 सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन का आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताये, कार्यपालक अभियंता को एकरारनामा समाप्त करने का अधिकार होगा।
- 10 वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि०मी० प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
- 11 वाहन का उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्रि समय में होता है। अतः इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क/किराया देय नहीं होगा।
- 12 वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
- 13 एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 30.05.2026 को 4.30 बजे अपराहन में वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। शपथ पत्र एवं वाछिंत कागजात नहीं रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा।
- 14 वाहन मालिक/फर्म वाहन का (ईंधन रहित, चालक एवं सभी करो सहित) प्रतिमाह भाड़े का कोटेशन इस कोटेशन में उल्लेखित प्रपत्र में समर्पित करेंगे।
- 15 वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक के जबावदेही होगी।
- 16 अगर सेवा संतोषजनक रहा तो दिनांक 31.03.2027 तक सेवा ली जा सकती है।
- 17 वाहन माह 31 अक्टूबर 2026 तक भाड़े पर रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी निजी कार्य में नहीं किया जाएगा इच्छुक वाहन मालिक/फर्म का उक्त क्रमांक 01 से 17 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेंगे।
- 18 कोई अन्य जानकारी कार्यालय में सम्पर्क कर अथवा कार्यालय सूचना पट्ट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

विश्वासभाजन

EO/

कार्यपालक अभियंता,

शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर।

पत्रांक— 848/वाल्मीकिनगर

दिनांक 21/05/2026

प्रतिलिपि:—सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु समर्पित।

अनुलग्नक:—कोटेशन

कार्यपालक अभियंता,

शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर।

21/05/26